



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2025/D-30

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 263703 दिनांक 28/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Naveen Kumar Rawal S/o Surjeet Kumar Rawal	श्रीमती रीना रावल पत्नी श्री नवीन रावल	187	200.00 SQ. METER	Private	NARAYAN VIHAR-R Sector/Block-	Name Transfer	आवेदक श्री नवीन रावल पुत्र श्री सूरजीत कुमार रावल द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निजी खातेदारी की योजना नारायण विहार आर के भूखण्ड संख्या 187 क्षेत्रफल 200 व0ग0 का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। निजी खातेदारी की योजना नारायण विहार आर के भूखण्ड संख्या 187 क्षेत्रफल 200 व0ग0 का पट्टा श्रीमती रीना रावल पत्नी श्री नवीन रावल के नाम जारी किया गया। आवेदक द्वारा अपलोड दस्तावेजात अनुसार कर्नाटक सरकार द्वारा



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

जारी (मृत्यु प्रमाण पत्र) दिनांक 17.09.2024 को श्रीमती रीना रावल पत्नी श्री नवीन रावल की मृत्यु हो चुकी है। तत्पश्चात् दिनांक 29.10.2024 को इनके विधिक वारिसान श्री मनन रावल एवं अनीका रावल द्वारा आवेदक श्री नवीन रावल पुत्र श्री सूरजीत कुमार रावल के पक्ष में रजि0 हक-त्याग किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Naveen Kumar Rawal S/o Surjeet Kumar Rawal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।